

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक:-एफ3 (ख)(1)प्रशिक्षण/अलेसे-आ/

दिनांक

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 330 दिनांक 20.05.2016 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक 333 दिनांक 23.05.2016 द्वारा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, रीपा उदयपुर में 15 सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ को दिनांक 30.05.2016 से 16.09.2016 तक आयोजित 16 सप्ताह के आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने हेतु मनोनीत किया गया था तथा प्रशिक्षण समाप्ति पर सभी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ (प्रशिक्षणार्थी) को अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालयों में ही उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था ।

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के अनुरोध पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र (रीपा) उदयपुर परिसर में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे (दिनांक 30.05.2016 से 16.09.2016) सभी कर्मचारियों के वेतन-भत्तों का आहरण उनके पूर्व पदस्थापन कार्यालय से ही किया जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।



(डॉ० मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-आ)

क्रमांक:-एफ3 (ख)(1)प्रशिक्षण/अलेसे-आ/ 696

दिनांक 15/7/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 महानिदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर, को उनके पत्र क्रमांक एफ2 रीपा(4)लेखा/ए-9/बजट/2070/2016-17/7800 दिनांक 06.07.2016 के क्रम में ।
- 2 अतिरिक्त निदेशक (लेखा) एवं पाठ्यक्रम निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, उदयपुर ।
- 3 संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षको प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ को उक्त आधारभूत प्रशिक्षण अवधि के वेतन का भुगतान करने का श्रम करावें ।
- 4 संबंधित कोषाधिकारी..... ।
- 5 श्री.....सलेअ-आ कार्यालय.....
- 6 उपनिदेशक (एसीपी) को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
- 7 अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदया ।
- 8 निजी पत्रावली/रक्षित पंजिका ।



अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-आ)